राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

1/76
2020

दीपक / पृ.600/3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/7/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 19/07/2018 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर आगामी तारीख नियत कर दी गयी, एवं तत्तपश्चात अब आगामी पेशी दिनांक 13/08/2020 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत है जिससे व्यथित होने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होकर यह अपील सीधे ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है एवं अपील के इस स्तर पर अपीलार्थी आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटी होने का कोई युक्तियुक्त कारण साबित नही कर पाये है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 13/08/2020 है अत: ऐसी परिस्थिति में इस अपील के माध्यम से आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है। न्यायहित में उभयपक्षों को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक 13/08/2020 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे विचाराधीन प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 13/08/2020 को प्रार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 (क) का अनुसरण करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 31/07/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर